<u>न्यायालय : अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–1, बारां (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार शर्मा (डी0जे0 केडर)
आप0 विविध संख्या : 87/2026
सी0आई0एस0 नंबर : 213/2026

1– राधेश्याम उम्र 62 वर्ष पुत्र बृजमोहन निवासी पंडाली थाना नाहरगढ जिला बारां।

2– गजराज सिंह उम्र 27 वर्ष पुत्र मदनलाल निवासी मोयदा थाना नाहरगढ जिला बारां (राज0) –प्रार्थीगण/अभियुक्तगण–

:: बनाम ::

राज0 सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, बारां (राज0) –अप्रार्थी/विपक्षी–

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
एफ0आई0आर0 नं0 192/2025, पुलिस थाना किशनगंज
<u>जुर्मधारा 126(2), 115(2), 109(1), 61(2)(ए), 3(5) बी.एन.एस.</u>

उपस्थितः–

1– श्री भारत भूषण सक्सेना, अधिवक्ता, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2– विद्वान अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

––:: <u>आदेश</u> ::–– दिनांक :– 02.04.2026

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राधेश्याम व गजराज सिंह की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना किशनगंज की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 192/2025 के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां में प्रस्तुत किया गया, जहां से यह अग्रिम जमानत आवेदन विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। जमानत आवेदन की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क किये है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण को परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नामजद नहीं किया गया है। घटना के समय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मौके पर भी मौजूद नहीं रहे हैं। मात्र पुरानी रंजिश से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को फंसाया गया है। प्रार्थीगण से कोई बरामदगी नहीं की जानी है। प्रार्थीगण अनुसंधान में सहयोग हेतु तैयार है। अन्य नामजद अभियुक्तगण न्यायालय से पूर्व में जमानत पर आजाद है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

3— विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से बहस में उक्त तर्कों का विरोध करते हुए बहस में तर्क किये गये हैं कि प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 109 (1) बीएनएस व अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं। अनुसंधान से प्रार्थीगण के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थीगण से अनुसंधान भी किया जाना है तथा प्रार्थीगण अनुसंधान में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। अंत में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड होना जाहिर किया :—

आपराधिक रिकॉर्ड राधेश्याम :—

क.सं.	मुक.नं. व थाना	अपराध अंतर्गत धारा	चार्जशीट सं0	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
01	58/1995 थाना नाहरगढ	147, 323, 342 भा0दं0सं0	47/08.07.1995	दोषमुक्त 17.02.98
02	10/1997 थाना नाहरगढ	342,365,380,384,504,34 भा0. दं0सं0	16/21.03.1997	दोषसिद्ध 20.03.2009

आपराधिक रिकॉर्ड गजराज :—

क.सं.	मुक.नं. व थाना	अपराध अंतर्गत धारा	चार्जशीट सं0	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
01	71/2017 थाना नाहरगढ	341, 323, 504 भा0दं0सं0	55/21.05.2017	पेन्डिंग कोर्ट
02	81/2023 थाना नाहरगढ	341,323,504,506,34 भा0दं0सं0 व धारा 3 एससी/एसटी एक्ट	77/25.07.2023	पेन्डिंग कोर्ट
03	90/2025 थाना नाहरगढ	121(1), 132,352,309(6), 3(5) बीएनएस व धारा 3 पीडीपीपी एक्ट	86/31.07.2025	पेन्डिंग कोर्ट

4— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पुलिस थाना किशनगंज की ओर से प्रस्तुत अनुसंधान पंजिका एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अध्ययन व अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि परिवादी सत्यप्रकाश नागर के द्वारा दिनांक 12.11.2025 को पुलिस थाना किशनगंज में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 11.11.2025 को समय 4.30 पी0एम0 के लगभग उसके द्वारा अपने घर जाते समय कामठा रोड के आसपास पीछे से एक मोटरसाईकिल पर सवार अभियुक्तगण निखिल गोस्वामी व विशाल पंकज द्वारा आकर अभियुक्त विशाल पंकज के द्वारा अपने हाथ के लठठ से उस पर जान से मारने की नियत से वार करने जो उसके हेलमेट पर लगने तथा स्वयं अभियुक्तगण गिर जाने के कारण परिवादी वहां से चले जाने तथा अभियुक्तगण सुपारी लेकर मारपीट व हत्या करने का काम करने आदि के तथ्य अंकित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिस पर पुलिस द्वारा अपराध धारा 109 3(5) 62, बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। अनुसंधान पंजिका व

तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा अब तक किये गये अनुसंधान से दोनों प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता पाते हुए उनके विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि प्रकरण में मजरूब सत्यप्रकाश को कोई गंभीर प्रकृति की चोट कारित होना प्रकट नहीं हुआ है एवं अभियुक्तगण निखिल, विशाल एवं ललित के धारा 483 बीएनएस के जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार भी किये गये हैं, परंतु दोनों प्रार्थीगण राधेश्याम एवं गजराज अभी तक प्रकरण में गिरफतार नहीं हो सकना बताये गये हैं, जिनसे अनुसंधान शेष होना एवं प्रार्थीगण का अनुसंधान में सहयोग नहीं करना भी अभियोजन व अनुसंधान अधिकारी की ओर से जाहिर किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध अन्य अपराध के अतिरिक्त अपराध धारा 109(1) बीएनएस के अंतर्गत भी अनुसंधान लंबित है जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है।

अतः प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पत्र यह न्यायालय स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाता है।

08. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राधेश्याम व गजराज का यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 दं0प्र0सं0 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, बारां (राज0)

6– आदेश आज दिनांक 02.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(प्रमोद कुमार शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
क्रम–1, बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.16 18:39:12 IST